

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित
एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

प्रस्ताव हेतु अनुरोध
(खुली निविदा पद्धति के माध्यम से)

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 में स्थित
एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

आरएफपी संदर्भ संख्या: - एमआरओ/एमआरओ/डाक/2024/00164 दिनांकित 05 सितम्बर 2024



मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,
4वीं मंजिल, 45, वीर नरीमन रोड,
बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,
फोर्ट, मुंबई-400001.

वेबसाइट: <https://nhb.org.in/>

+91-22-22851560-62

+91-7499833693

ई-मेल: romum@nhb.org.in

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित
एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण

1.	बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों की बिक्री शुरू होने की तिथि	06.09.2024
2.	बोली पूर्व बैठक (तिथि एवं समय)	13.09.2024:1500 Hrs
3.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	27.09.2024:1700 Hrs
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	30.09.2024
5.	निविदा दस्तावेज की लागत	शून्य
6.	बयाना जमा राशि	₹ 40,000/- (केवल चालीस हजार)
7.	बोली खोलने का स्थान	मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, चौथी मंजिल, 45, वीर नरीमन रोड, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई-400001.

नोट: -

- बोलियां उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी जो उपर्युक्त के अनुसार भाग लेने का विकल्प चुनते हैं। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने के माध्यम से दी जाएगी।
- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी रिकॉर्ड के माध्यम से जमा किए गए सभी डेटा/जानकारी को रिपोर्ट किया जाना चाहिए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख के रूप में माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत स्थापित, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्तिकर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय कोर 5ए, इंडिया हैबिटेट सेंटर, तीसरी-पांचवीं मंजिल, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 में स्थित है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और रायपुर में स्थित हैं।

3. प्रयोजन:

रा.आ.बैंक मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, चौथी मंजिल, 45, वीर नरीमन रोड बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई-400001 में आरएफपी में परिभाषित कार्य क्षेत्र के अनुसार कार्य करने के लिए मुहरबंद बोलियां (न्यूनतम पात्र मानदंड और वाणिज्यिक बोली सहित तकनीकी बोली) आमंत्रित करता है।

4. उद्देश्य:

इस आरएफपी का उद्देश्य राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा फोर्ट, मुंबई स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आवश्यक आंतरिक साज सज्जा/फर्निशिंग कार्य करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करना है, जो इस आरएफपी

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम में परिभाषित कार्य क्षेत्र के अनुसार आवश्यक है।

5. कार्य क्षेत्र:

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

6. कार्य अवधि:

सम्पूर्ण कार्य, कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 7 सप्ताह के भीतर या बैंक द्वारा तय की जाने वाली तिथि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

7. अनुबंध की अवधि

विक्रेता स्थापना की तिथि से 12 महीने (अर्थात दोष देयता अवधि) के लिए किसी भी विनिर्माण दोष के लिए जिम्मेदार होगा और इस वारंटी अवधि के भीतर बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के दोष में आवश्यक मरम्मत/सुधार करेगा। यदि दोषों की रिपोर्ट करने के एक सप्ताह के भीतर मरम्मत/सुधार नहीं किया जाता है, तो रा.आ.बैंक इसे बाजार से मरम्मत/सुधारा करवाने के लिए स्वतंत्र होगा और प्रतिधारण धन से आवश्यक वसूली की जाएगी।

अनुबंध अवधि में परियोजना को पूरा करना और उसके बाद विनिर्माण दोषों के लिए 12 महीने शामिल होंगे। बोलीदाता कार्य पूरा होने की तिथि से 12 महीने के लिए किसी भी विनिर्माण दोष के लिए जिम्मेदार होगा और इस वारंटी अवधि के भीतर बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत पर दोष की आवश्यक मरम्मत/सुधार करेगा। यदि दोषों की रिपोर्ट करने के एक सप्ताह के भीतर मरम्मत/सुधार नहीं किया जा रहा है, तो रा.आ.बैंक इसे बाजार से मरम्मत/सुधारा जाने के लिए स्वतंत्र होगा और ईएमडी या/और प्रतिधारण धन से आवश्यक वसूली की जाएगी।

एलओए की संस्वीकृति की तिथि या ऐसी अन्य तिथि जो रा.आ.बैंक द्वारा तय की जा सकती है, अनुबंध के आरंभ होने की तिथि ("प्रारंभिक तिथि") होगी

नोट:

यह आरएफपी उन कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों और सेवाओं का वर्णन करने में संपूर्ण नहीं है जिनके लिए बोलीदाता जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा में भाग लेकर, स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि यदि कोई कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं जो या तो विशेष रूप से इस

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम आरएफपी में वर्णित नहीं हैं या विशेष रूप से वर्णित हैं, लेकिन नियामक/वैधानिक परिवर्तनों के कारण उपयुक्त परिवर्तन/संशोधन से गुजरना पड़ता है और अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए रा.आ.बैंक द्वारा आवश्यक या उपयुक्त कहा जाता है, ऐसे कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं (लागू परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो) इस आरएफपी के तहत सेवाओं के दायरे में निहित और शामिल मानी जाएंगी और बोलीदाता की प्रतिक्रिया उसी सीमा तक और उसी तरह से जैसे कि इस आरएफपी और बोलीदाता की प्रतिक्रिया में विशेष रूप से वर्णित है।

8. बोलीदाताओं को निर्देश

8.1 सामान्य: -

- विकास, तैयारी, एवं प्रत्युत्तरों के प्रस्तुत करने से किसी भी प्रकार से संबद्ध सहित लेकिन जो बैठकों, चर्चाओं, प्रदर्शन, इत्यादि में उपस्थिति तक सीमित न हो एवं रा.आ. बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना प्रदान करने में बोलीदाताओं द्वारा वहन की गई समस्त लागत एवं व्यय पूरी तरह एवं केवल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी।
- बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के अलावा, संविदात्मक करार के निष्पादन तक बोलीदाताओं एवं रा.आ.बैंक में से किसी के भी बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होंगे। बोलियों के मूल्यांकन एवं उनको अंतिम रूप देने के एवं सफल बोलीदाता की पहचान के पश्चात सत्यनिष्ठा समझौता सफल बोलीदाता द्वारा निश्चित समझौता के भाग हेतु होगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत बोली के संबंध में कथोक्त संविदा पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता के उल्लंघन में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी कार्य/चूक हेतु उन पर बाध्य होगा।
- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा और स्वीकार करेगा कि राष्ट्रीय आवास बैंक पात्र बोलीदाता को सूचीबद्ध करने/चयन करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए दस्तावेज में विनिर्दिष्ट चयन मानदंडों को अपने पूर्ण विवेक से लागू कर सकता है।
- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करते ही यह सुनिश्चित करता है, उसे आरएफपी और अस्वीकरण की शर्तों स्वीकार है।
- बोलीदाताओं से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

नाम	श्री चेतन खरबीकर	श्रीमती सोनाली सोनावणे
पदनाम	सहायक प्रबंधक	क्षेत्रीय प्रबंधक
ईमेल आईडी	romum@nhb.org.in	romum@nhb.org.in
फोन नंबर	+91-22-22851560-62	+91-11-39187423/

प्रश्न/संदेह, यदि कोई हो, को बोली-पूर्व बैठक में बोलीदाता द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है

- राष्ट्रीय आवास बैंक आरएफपी/निविदा बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/बोलीदाताओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, बोलीदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।
- यदि राष्ट्रीय आवास बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो राष्ट्रीय आवास बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- प्रश्न/स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो सोमवार से शुक्रवार सुबह 10.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) बोलियां जमा करने की समय सीमा से पूर्व ऊपर दिये गए संपर्क व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं।
- बोलीदाता को भारत में किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक/वित्तीय संस्थान/भा.रि.बैंक द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए ब्लैकलिस्ट/रोका न गया हो।
- राष्ट्रीय आवास बैंक सभी चयनित बोलीदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। राष्ट्रीय आवास बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

8.2 निर्माण-स्थान का दौरा

प्रस्ताव/बोली जमा करने से पहले, विक्रेता रा.आ.बैंक के कार्य दिवसों पर रा.आ.बैंक की निर्माण-स्थल पर जा सकते हैं, समापन तिथि से पहले जहां यह काम किया जाना है। इसके अलावा, यात्रा की व्यवस्था करने के लिए उपरोक्त संपर्क नंबरों पर पूर्व संचार किया जाएगा। बोली जमा करने के बाद उक्त दौरै/अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता स्थापना/आपूर्ति उद्देश्य के लिए रा.आ.बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

8.3 बोली-पूर्व बैठक और निर्माण-स्थान का दौरा

8.2.1 इस निविदा/आरएफपी से संबंधित मामलो पर बोलीदाताओं के प्रश्न/संदेह के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से, रा.आ.बैंक इस आरएफपी में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार एक बोली-पूर्व बैठक आयोजित करेगा। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित रूप में **13 सितंबर, 2024 को 12:00 बजे** या उससे पहले ई-मेल द्वारा पहुंच

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

जाने चाहिए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बोली-पूर्व बैठक के बाद किसी भी बोलीदाता के किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली-पूर्व बैठक में ही दिया जाएगा। केवल बोलीदाताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों को ही बोली-पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

8.2.2 प्रस्ताव/बोली जमा करने से पहले, विक्रेता रा.आ.बैंक के कार्य दिवसों पर **सुबह 11.00 बजे से शाम 5.00 बजे** के बीच (शनिवार, रविवार और अवकाश को छोड़कर) रा.आ.बैंक के निर्माण स्थान पर जा सकते हैं, जहाँ यह कार्य किया जाना है। रा.आ.बैंक द्वारा बोलीदाता/विक्रेता को उक्त दौरे के लिए किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

8.4 निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी

निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ की सॉफ्ट कॉपी रा.आ.बैंक की वेबसाइट <http://www.nhb.org.in> पर **06.09.2024** से उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ डाउनलोड करने होंगे।

8.5 निविदा/आरएफपी की अहस्तांतरणीयता

यह निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ हस्तांतरणीय नहीं है।

8.6 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। रा.आ. बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी स्थिति में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरूपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.7 बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज़ में संशोधन

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

- बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय रा.आ. बैंक, किसी भी कारण, संशोधन या शुद्धिपत्र द्वारा बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेज में सुधार कर सकता है।
 - संशोधन की सूचना रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in के माध्यम से दी जाएगी।
- सभी बोलीदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा बोली प्रस्तुत करने से पहले आरएफपी में संशोधन/वर्धन (यदि कोई है) पर विचार किया गया है। बोलीदाता द्वारा कोई भी चूक किए जाने के मामले में रा.आ. बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रा.आ. बैंक अपने विवेकानुसार बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा को आगे बढ़ा सकता है।
- रा.आ. बैंक किसी भी संवादहीनता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी स्थिति में निविदा को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

8.8 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखित होंगे।

8.9 गुप्त वाणिज्यिक बोली

बोलीदाता द्वारा वास्तविक कीमतों को छिपाकर वास्तविक मूल्य बोली (रा.आ.बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार) की एक प्रति रा.आ.बैंक को अलग से प्रस्तुत की जानी है। यह अनिवार्य है। यदि यह ठीक से छिपाकर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो बोली को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। रा.आ.बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बोली/निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि 'गुप्त वाणिज्यिक बोली' का प्रारूप/विवरण (मूल्य को छोड़कर) प्रस्तुत वास्तविक वाणिज्यिक बोली के प्रारूप/विवरण से मेल नहीं खाता है।

8.10 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

8.11 बोली में शामिल दस्तावेज (यदि कोई हो, कृपया प्रारूपों में अलग से निर्धारित निर्देशों का

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम पालन करें)

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

8.12 बोली मुद्रा

बोलियां केवल प्रतिशत (%) में उद्धृत की जाएंगी। प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य मुद्राओं में बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8.13 कार्यान्वयन अनुसूची

बोलीदाता को कार्य आदेश की तिथि से सात सप्ताह के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी।

8.14 निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)

शून्य

8.15 बोलियों की वैधता की अवधि

- बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कीमतें तथा अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने की तारीख से छ माह की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।
- असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं से वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए सहमति की मांग कर सकता है। उसके लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया लिखित में होगी। दी गई बोली प्रतिभूति घोषणा/ईएमडी को भी बढ़ाया जाएगा।

8.16 बोलियों का प्रारूप और हस्ताक्षर

आरएफपी के खंड 5.1 में उल्लिखित अनुसार विधिवत भरे हुए अनुलग्नकों के साथ वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत की जानी है।

मूल बोलियों को अमिट स्याही से टंकित या लिखा जाएगा एवं बोली लगाने वाले या बोली लगाने वाले को अनुबंध से जोड़ने के लिए विधिवत अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। बोलियों पर

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित
एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर बोली के सभी पृष्ठों पर अपने आद्याक्षर करने होंगे।

8.17 बोलियों की मुद्रण एवं चिन्हांकन

- सभी लिफाफों को नीचे दिए गए पते पर रा.आ.बैंक को भेजे जायेंगे:

क्षेत्रीय प्रबंधक

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय,

राष्ट्रीय आवास बैंक

45, वीर नरीमन रोड (तीसरी मंजिल),

बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग,

फोर्ट, मुंबई-400001.

- सभी लिफाफों पर संपर्क नंबर और ई-मेल पते के साथ बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफों को अलग-अलग सील करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और अलग से “रा.आ.बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक/मरम्मत कार्य हेतु तकनीकी प्रस्ताव”, और “रा.आ.बैंक के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में आंतरिक/मरम्मत कार्य हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव” जैसा भी लागू हो, लिखा होना चाहिए।
- यदि लिफाफे मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गए हों तो बैंक बोली के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।
- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और उपाश्रय के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगा।

8.18 बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- बोलियां रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि रा.आ.बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।
- रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर सूचित करते हुए बोली दस्तावेजों को संशोधित करके बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा सकता है, उस स्थिति में, रा.आ.बैंक और बोलीदाता के सभी अधिकार और उत्तरदायित्व वृद्धित अंतिम तारीख तक पूर्ववत रहेंगे।

8.19 देर से प्राप्त बोलियां

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोलियों को प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद एनएचबी द्वारा प्राप्त किसी भी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बोलीदाता को बिना खोले वापस कर दिया जाएगा।

8.20 रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तिथि और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तिथि को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

तकनीकी बोलियां खोलने का स्थान:

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक, तीसरी मंजिल, 45, वीर नरीमन रोड, बॉम्बे लाइफ बिल्डिंग, फोर्ट, मुंबई-400001

बोलीदाता का नाम और उपस्थिति या अपेक्षित ईएमडी की अनुपस्थिति, आरएफपी लागत और रा.आ.बैंक जैसे अन्य विवरण, अपने उचित विवेकानुसार, तकनीकी बोली खोलने के समय घोषित किए जाएंगे।

8.21 बोलियों का स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व निर्णयानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

8.22 प्रारंभिक जांच

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

- रा.आ. बैंक यह देखने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात /दस्तावेज संलग्न किये गये हैं एवं बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।
- रा.आ.बैंक, अपने विवेकानुसार, बोली में किसी भी मामूली कमी, गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ कर सकता है जो भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते ऐसी छूट किसी भी बोली लगाने वाला की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या पक्षपात नहीं करती है।
- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के लिए रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम है।

8.23 प्रस्ताव का स्वामित्व

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और संलग्न दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ. बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

8.24 बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता रा.आ.बैंक द्वारा समुदेशित कार्य को रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतों को केवल अपनी सेवा/समर्थन अवसंरचना के माध्यम से ही निपटाएगा।

8.25 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

इस परियोजना के अंतर्गत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता/बोलीदाता के पास मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में उचित और पर्याप्त सहायता तंत्र होना चाहिए।

8.26 बोली मूल्यांकन

आरएफपी के पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता, कार्यों को पूरा करने के लिए "अनुलग्नक V- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार उद्धृत प्रतिशत के आधार पर सबसे कम लागत, परियोजना के लिए चुना जाएगा।

यदि दो तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं ने दशमलव के दो स्थानों तक प्रतिशत में समान बोली उद्धृत की है, तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सबसे अधिक वार्षिक कारोबार वाले बोली लगाने वाले को एल1 यानी सबसे कम 1 माना जाएगा।

8.27 मैनुअल/ड्राइंग

सेवा प्रदाता/बोलीदाता अनुबंध की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं के लिए पूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और आपूर्ति की गई सेवाओं का स्पष्ट रूप से संकेत देना चाहिए।

8.28 संशोधन एवं आहरण

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो, ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य माना जाएगा।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व-बोली बैठक के बाद ही बोलियां जमा करें क्योंकि एक बार जमा की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर कोई और पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता बन जाता है तो बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- रा.आ. बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या प्राप्त सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रा.आ. बैंक किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद/कोई भी वितरण न होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

8.29 कीमतों का प्रकटीकरण

वाणिज्यिक बोली के अलावा तकनीकी या बोली के अन्य भाग में किसी भी रूप में या कारण से कीमतों का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने पर बोली निरस्त होने के लिए पात्र होगा।

8.30 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली हेतु अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती हैं तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा। बोलीदाताओं को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें आरएफपी के इस आमंत्रण पर लागू अनुबंध की निबंधन व शर्तें स्वीकार नहीं हैं तो वे खंड **अनुलग्नक- IV** के अनुसार व्यतिक्रमों को स्पष्ट तौर पर विनिर्दिष्ट करें। बोलीदाता स्पष्ट तौर पर दर्शाएँ कि वे प्रस्तुत किये जाने वाले उपकरण एवं सेवाओं में इन विनिर्देशों एवं अपेक्षाओं में निर्धारित विनिर्देशों से किस संबंध में एवं किस सीमा तक की भिन्नता/व्यतिक्रम होगा।

8.31 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता ऐसी स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

8.32 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

8.33 प्रस्ताव की सामग्री

बोलीदाता के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रक्रिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में वेंडर की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रुचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

8.34 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये बोलीदाता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाय। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

8.35 विधि का अनुपालन

(क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं राष्ट्रीय आवास बैंक को सूचित करने

एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) सलाहकार ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि तुरंत प्राप्त एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने हेतु अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटों की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक लेखा परीक्षा फर्म को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि राष्ट्रीय आवास बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत लेखा परीक्षा फर्म के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8.36 बौद्धिक संपदा अधिकार

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

8.37 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

क. यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो बैंक उचित समझी जाने वाली कार्यवाही कर सकता है।

ख. यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेकानुसार निविदा को समाप्त करने हेतु आरएफपी में प्रदान की गई यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

8.38 भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ((डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।
यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।
- बोलीदाता को **अनुलग्नक XVIII** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु:
 - क) "बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।
 - ख) "इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -
 - (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
 - (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; या
 - (iii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
 - (iv) संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
 - (v) संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
 - (vi) साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
 - (vii) सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।

ग) उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

- i. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।
"स्वामित्व हित को नियंत्रित करने" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;
- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
- iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी एवं कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।

घ) एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

नोट:

यह आरएफपी उन कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों और सेवाओं का वर्णन करने में संपूर्ण नहीं है जिसके लिए सलाहकार जिम्मेदार होगा। बोलीदाता, इस निविदा में भागीदारी से, स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि यदि कोई कार्य, गतिविधियां, जिम्मेदारियां या सेवाएं जो या तो इस आरएफपी में विशेष रूप से वर्णित नहीं हैं या विशेष रूप से वर्णित हैं, लेकिन नियामक/वैधानिक परिवर्तनों के कारण उपर्युक्त परिवर्तन/संशोधन से गुजरना पड़ता है और रा.आ.बैंक द्वारा अनुबंध के उचित प्रदर्शन के लिए आवश्यक या उपर्युक्त कहा जाता है, ऐसे कार्यों, गतिविधियों, जिम्मेदारियों या सेवाओं (लागू परिवर्तनों के साथ, यदि कोई हो) को इस आरएफपी और बोलीदाता की प्रतिक्रिया

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

के तहत सेवाओं के दायरे में उसी सीमा तक और उसी तरीके से निहित और शामिल माना जाएगा जैसे कि इस आरएफपी और बोलीदाता की प्रतिक्रिया में विशेष रूप से वर्णित है।

9. बोली (तकनीकी और वाणिज्यिक) और बोली मूल्यांकन पद्धति

तकनीकी मूल्यांकन- निम्नलिखित पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे और बोलीदाता से प्राप्त बोली निम्न उल्लिखित किसी भी मानदंड पर पात्र नहीं है, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

- 1) बोलीदाता के पास सिविल और आंतरिक फर्निशिंग कार्यों के निष्पादन में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। बैंक की संतुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिसके अभाव में बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 2) बोलीदाता का औसत वार्षिक व्यापार पिछले तीन वित्त वर्ष अर्थात् 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (31 मार्च को समाप्त) के दौरान ₹ 50 लाख का होना चाहिए। बैंक की संतुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिसके अभाव में, बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 3) 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले 5 वर्षों के दौरान नीचे उल्लिखित निर्दिष्ट परिमाण के किसी भी सरकारी/पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संस्थान/सरकारी वित्तीय संस्थान/सांविधिक निकाय में समान कार्यों का संतोषजनक समापन (आदेश की तिथि और पूरा होने की तिथि, दोनों आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पिछले पांच वर्षों में होना चाहिए), इसी तरह के कार्यों का अर्थ है "सिविल और आंतरिक साज सज्जा कार्य"
 - a) एक समान कार्य अनुमानित लागत का 80% (अर्थात् ₹ 7.22 लाख + कर) से कम नहीं या
 - b) दो समान कार्य अनुमानित लागत का 50% (अर्थात् ₹ अनुमानित लागत का 4.60 लाख + कर) से कम नहीं या
 - c) तीन समान कार्य अनुमानित लागत का 40% (अर्थात् ₹ अनुमानित लागत का 3.68 लाख + कर) से कम नहीं
- 4) बोलीदाता को पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, वैधानिक, नियामक, पीएसयू या पीएसबी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित या असूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। जिसके अभाव में, बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

विक्रेता नीचे सारणीबद्ध के रूप में बैंक की संतुष्टि के लिए आवश्यक सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

न्यूनतम योग्यता मानदंड	सहायक दस्तावेज
बोलीदाता के पास सिविल और आंतरिक साज सज्जा कार्यों के निष्पादन में मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले	कार्य प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र/कार्य आदेश/बैंक को

**प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित
एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम**

कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए।	स्वीकार्य सहायक दस्तावेज।
बोलीदाता का पिछले तीन वित्त वर्ष अर्थात 2021-22, 2022-23 और 2023-24 (31 मार्च को समाप्त) के दौरान औसत वार्षिक कारोबार ₹ 50 लाख होना चाहिए। बोलीदाता द्वारा बैंक की संतुष्टि के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान किए जाएंगे।	लाभ और हानि खातों सहित वार्षिक रिपोर्ट/लेखापरीक्षित बैलेंस शीट/सीए प्रमाणपत्र, जो बैंक को स्वीकार्य हो।
मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान नीचे उल्लिखित निर्दिष्ट परिमाण के किसी भी सरकारी/पीएसबी/पीएसयू/सरकारी संस्थान/सरकारी वित्तीय संस्थान/सांविधिक निकाय में समान कार्यों का संतोषजनक समापन (आदेश तिथि और पूर्णता तिथि, दोनों आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पिछले पांच वर्षों के भीतर होनी चाहिए), समान कार्यों का अर्थ है "सिविल और आंतरिक साज-सज्जा कार्य"	i) कार्य प्रदान करने वाले प्राधिकारी से कार्य आदेश जिसमें कार्य की प्रकृति और कार्य आदेश का मूल्य स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो और ii) उसी कार्य के लिए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र।
a) एक समान कार्य जो अनुमानित लागत का 80% (अर्थात ₹ 7.22 लाख + कर) से कम न हो या	
b) दो समान कार्य जो अनुमानित लागत का 50% (अर्थात ₹ 4.60 लाख + कर) से कम न हो या	
c) तीन समान कार्य जो अनुमानित लागत का 40% (अर्थात ₹ 3.68 लाख + कर) से कम न हो।	
बोलीदाता को पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी सरकार, अर्ध-सरकारी एजेंसियों, सांविधिक, विनियामक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित या असूचीबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।	बोलीदाता से इस संबंध में शपथ पत्र।

उपरोक्त पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले बोलीदाता आगे के चरण अर्थात वाणिज्यिक बोली खोलने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।

यदि बोलीदाता एमएसएमई नियमों के तहत नवीनतम परिभाषाओं के अनुसार एक सूक्ष्म या लघु उद्यम है, तो बोलीदाता को "बोलीदाता टर्नओवर" मानदंड और "अनुभव मानदंड" (ऊपर 1 और 2) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता टर्नओवर/अनुभव मानदंड से छूट चाहता है, तो छूट के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज बैंक की संतुष्टि के लिए तकनीकी बोली के साथ प्रदान किए जाने चाहिए। जिसके

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित

एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

अभाव में, बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।

यदि बोलीदाता एक स्टार्टअप है, तो बोलीदाता को "बोलीदाता टर्नओवर" मानदंड और "अनुभव मानदंड" (ऊपर 1 और 2) की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। यदि कोई बोलीदाता टर्नओवर/अनुभव मानदंड से छूट चाहता है, तो छूट के लिए अपनी पात्रता साबित करने के लिए सहायक दस्तावेज बैंक द्वारा मूल्यांकन के लिए तकनीकी बोली के साथ संलग्न किए जाने चाहिए।

वाणिज्यिक मूल्यांकन- तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाता, आरएफपी के पूर्व-योग्यता मानदंडों के अनुसार, कार्यों को पूरा करने के लिए "अनुलग्नक V- वाणिज्यिक बोली" के अनुसार सबसे कम प्रतिशत दर उद्धृत करते हुए, परियोजना के लिए चुना जाएगा।

9.1 अनुबंध XV में निर्धारित तकनीकी मूल्यांकन के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बोलीदाता निविदा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे; और अनुबंध XV में उल्लिखित किसी भी मानदंड पर पात्र नहीं होने वाले बोलीदाता/ओं से प्राप्त बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे के वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट-"ए" के अनुसार तकनीकी प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित तकनीकी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

परिशिष्ट-"ए"

क्र मां क	कार्य/परियो जना का नाम पता सहित	स्वामी का नाम और डाक पता। यदि सरकारी उपक्रम है तो नाम और संपर्क संख्या सहित बताएं। 2 व्यक्तियों (कार्यकारी इंजीनियर या संगठन के शीर्ष	स्वामी का नाम और डाक पता। यदि सरकारी उपक्रम है तो नाम और संपर्क संख्या सहित बताएं। 2 व्यक्तियों (कार्यकारी इंजीनियर या संगठन के शीर्ष अधिकारी) का पता बताएं।	पूर्ण होने का निर्धारित समय (महीना)	पूर्ण होने का वास्तविक समय (महीना)	यदि परियोजना की वास्तविक राशि में वृद्धि हुई है तो कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी (कारण बताएं।)	टिप्पणियाँ

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित
एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

		अधिकारी) का पता बताएं।					

नोट:

- जानकारी विशेष रूप से इस प्रारूप में भरी जानी चाहिए। कृपया “ब्रोशर में दर्शाया गया है” टिप्पणी न लिखें।
- प्रमाण-पत्रों के लिए, जारी करने वाला प्राधिकारी प्रभारी कार्यकारी से कम नहीं होना चाहिए।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और पदनाम, कंपनी की मुहर)

दिनांक:

10. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस परियोजना के लिए निम्नलिखित वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों पर ध्यान दें।

10.1 कीमत

- बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी प्रकार की लागत शामिल होनी चाहिए।
- बोली लगाने वाले को दो दशमलव बिंदु तक प्रतिशत में कीमत उद्धृत करनी चाहिए (जैसा कि 8.12 में बताया गया है)।
- वाणिज्यिक बोली के अनुसार कीमत में सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी शुल्क, परिवहन, बीमा शामिल होना चाहिए।
- समायोजित मूल्य उद्धरण के साथ प्रस्तुत बोली को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- अनुबंधित दरों के आधार पर, रा.आ.बैंक अपने विवेक से पिछले वर्ष/असाइनमेंट की प्रदर्शन समीक्षा के बाद सालाना बार-बार आदेश दे सकता है।

10.2 भुगतान की शर्तें

बैंक द्वारा नियुक्त वास्तुकार द्वारा प्रमाणित बिल राशि का 95% वितरण और वस्तुओं की सफल स्थापना और बैंक द्वारा साइन ऑफ करने के बाद ही जारी किया जाएगा। आपूर्ति की गई वस्तु की वास्तविकता सुनिश्चित करने हेतु बैंक आवश्यक परीक्षण प्रमाणपत्र/घोषणा/दस्तावेज मांग सकता है। वास्तुकार द्वारा प्रमाणित बिल राशि का शेष 5% बैंक द्वारा रखा जाएगा और इस आरएफपी के खंड 7 में परिभाषित 12 महीने की वारंटी अवधि के पूरा होने के बाद जारी किया जाएगा।

कोई भी भुगतान अनुबंध IX में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार सेवा स्तर के समझौते पर हस्ताक्षर करने और सफल बोलीदाता द्वारा चालान जारी करने के बाद ही जारी किया जाएगा, जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।

क्र. सं.	परियोजना का समापन	भुगतान की जाने वाली परियोजना मूल्य का हिस्सा	देय राशि का 10% तक प्रतिधारण राशि
i.	50%	40%	परियोजना मूल्य के 40% का 10%
ii.	25%	30%	परियोजना मूल्य के 30% का 10%
iii.	25%	30%	परियोजना मूल्य के 30% का 10%
कुल	100%	परियोजना मूल्य का 90% ऊपर बताए गए चरणों में परियोजना मूल्य के 10% की कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा।	

10.3 अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में भुगतान

आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो लागू अर्थदंड और टीडीएस/अन्य लागू करों में कटौती के बाद, सेवाओं के लिए भुगतान यथानुपात आधार पर किया जाएगा, अवधि के लिए सेवाएं वितरित की गई हैं।

11. सामान्य नियम एवं शर्तें

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

11.15 अर्थदंड

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय (आरएफपी के खंड 8.13 के अनुसार) के भीतर परियोजना को पूरा करने में विफल रहता है, तो रा.आ.बैंक प्रत्येक सप्ताह की देरी हेतु कार्य आदेश मूल्य के 1% का अर्थदंड लगा सकता है या सफल बोलीदाता के लिए उसके हिस्से के लिए, वस्तु के मूल्य के अधिकतम 5% के अधीन हो सकता है। सप्ताह के अंश को सप्ताह के संदर्भ में देरी पर पहुंचने के लिए पूरे एक सप्ताह के रूप में माना जाना चाहिए। एक बार अधिकतम हो जाने पर, रा.आ.बैंक आदेश को रद्द करने पर विचार कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि वारंटी अवधि के दौरान उजागर दोषों का सुधार सात दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो रा.आ.बैंक इसे बाहर से ठीक करवा सकता है और इस पर होने वाले व्यय को प्रतिधारण धन से वसूल किया जाएगा।

11.16 कार्मिकों का निष्कासन और/या प्रतिस्थापन

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

11.17 कार्य आदेश/ पुरस्कार पत्र की स्वीकृति

रा.आ.बैंक दो प्रतियों में कार्य आदेश/पुरस्कार का पत्र जारी करके सफल बोलीदाता को लिखित रूप में सूचित करेगा। सफल बोलीदाता को स्वीकृति के प्रमाण में प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार किए गए एवं हस्ताक्षर किए गए कार्य आदेश/पुरस्कार आदेश के पत्र की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर डुप्लीकेट कॉपी रा.आ.बैंक को वापस करनी होगी। हालांकि, रा.आ.बैंक को कार्य आदेश/पुरस्कार के पत्र को रद्द करने का अधिकार है, अगर उसे निर्धारित अवधि के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है।

11.18 अपरिहार्य करार

सफल विक्रेता अनुलग्नक IX में दिए गए प्रारूप में सेवा स्तर समझौते (एसएलए) और अनुलग्नक XI में गोपनीयता सह गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) पर रा.आ.बैंक के साथ लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) के 15 दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर हस्ताक्षर करेगा जैसा कि रा.आ.बैंक द्वारा तय किया जा सकता है। इस आरएफपी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अनुबंध/ओं के निष्पादन के संबंध में सभी व्यय, स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्क/व्यय सफल विक्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे। बोर्ड के प्रस्ताव या पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रति यह दर्शाती है कि हस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति पत्र, अनुबंध और गैर-प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है, प्रस्तुत की जानी चाहिए।

11.19 कर

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित

एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित सांविधिक दरों के अनुसार रा.आ.बैंक द्वारा वास्तविक आधार पर केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। लागू होने वाले अन्य सभी कर बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे। रा.आ.बैंक सफल बोलीदाता को किए गए भुगतानों के संबंध में प्रभावी विधि/नियमों के अनुसार स्रोत पर ऐसी कर कटौती करने के लिए अधिकृत है।

11.20 परिसमाप्त क्षति

यदि सफल बोलीदाता रा.आ.बैंक की संतुष्टि के लिए सहमत विनिर्देशों और शर्तों के अनुसार अनुबंध का उचित प्रदर्शन पूरा करने में विफल रहता है या सहमत शर्तों के अनुसार इसे पूरा किए बिना परियोजना/अनुबंध को छोड़ देता है, तो रा.आ.बैंक अनुबंध मूल्य के 1% प्रतिशत के बराबर क्षतिपूर्ति के रूप में क्षतिपूर्ति वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन दंड के रूप में नहीं। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिसमाप्त क्षतिपूर्ति खंड 11.15 के तहत लगाए गए दंड, यदि कोई हो, से अलग होगी।

11.21 अनुबंध दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग

बोलीदाता/सफल बोलीकर्ता, रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बोली दस्तावेज में रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान किए गए किसी भी दस्तावेज या जानकारी का उपयोग नहीं करेगा या अन्यथा अनुबंध के निष्पादन के उद्देश्यों को छोड़कर।

11.22 कार्यभार

बोलीदाता/सफल बोलीदाता, रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा या आंशिक रूप से सौंपे/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

11.23 अनुबंध की अवधि

अनुबंध कार्य आदेश/लेटर ऑफ अवार्ड की स्वीकृति की तिथि से छह महीने तक वैध होगा और सभी डिलिवरेबल्स बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर दिए जाने चाहिए।

11.24 पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा समझौता

रा.आ.बैंक और बोलीदाता के बीच एक "पूर्व-अनुबंध अखंडता समझौता" पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह रा.आ.बैंक और बोलीदाताओं के बीच एक बाध्यकारी समझौता है। इस समझौते के तहत, बोलीदाता रा.आ.बैंक से एक निर्दिष्ट तरीके से परियोजना करने के लिए सहमत होते हैं। अनुबंध पूर्व अखंडता संधि का प्रारूप अनुबंध - VIII के अनुसार होगा।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

इस संबंध में, रा.आ.बैंक ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से इस सत्यनिष्ठा समझौते के लिए श्री जोजनेश्वर शर्मा (ईमेल आईडी: sharmajoj@gmail.com) और श्री राजेंद्र श्रीवास्तव (ईमेल आईडी: aaremes@yahoo.com) को स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (इसके बाद "मॉनिटर" के रूप में संदर्भित) के रूप में नियुक्त किया है।

सत्यनिष्ठा समझौता के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं या उपक्रमों के विक्रेता द्वारा किसी भी उल्लंघन के लिए प्रतिबंधों का निम्नलिखित सेट लागू किया जाएगा:

- (i) अनुबंधों को अस्वीकार करना या हानि;
- (ii) ईएमडी/बोली सुरक्षा और प्रदर्शन बांड/पीबीजी की फीचर के लिए;
- (iii) प्रिंसिपल और प्रतिस्पर्धी विक्रेताओं को हानि के लिए देयता; और
- (iv) रा.आ.बैंक द्वारा उल्लंघनकर्ता को रो उचित समय के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा।

बोलीदाताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे कंपनी भर में आचार संहिता के कार्यान्वयन के लिए एक कंपनी आचार संहिता (रिश्तत और अन्य अनैतिक व्यवहार अनुपालन कार्यक्रम के उपयोग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना) रखें।

प्रस्ताव के लिए अनुरोध- 701, जानकी वसुंधरा सीएचएसएल, जानकी-कुटीर, जुहू (डब्ल्यू), मुंबई 400 049 स्थित
एनएचबी के फ्लैट में इंटीरियर/मरम्मत और पेंटिंग का काम

अनुलग्नक

कृपया अंग्रेजी विषय वस्तु का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

***किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी मूलपाठ मान्य होगा।**

XXXXXX